बिना प्रिस्क्रिप्शन के बाजार में मिल जाती हैं एंटीबायोटिक दवाएं

थोक में खरीद लेते हैं फुटकर विक्रेता वेटनरी में कोई नियम नहीं

अर्पण खरे, भोपाल

एमोक्सीसिलिन, एमोक्सीसिलिन क्लेवनिक एसिड, सिप्रोफ्लाक्सासिन, टेट्रालाइक्लिन जैसे तमाम एंटीबायोटिक बाजार में बिना प्रिस्क्रप्शन के मिल रहे हैं। इसकी डाक्टर भी एंटीबायोटिक के उपयोग पर जोर रहे हैं। खासकर पॉल्ट्री फार्म में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक का उपयोग किया जा रहा। बाजार में भारी मात्रा में एंटीबायोटिक का उपयोग के पीछे एक वजह कोई पॉलिसी का न होना भी है। मानव शरीर के साथ पशुओं खासकर खाद्य पदार्थ देने वालों में एंटीबायोटिक का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। ऐसी कई बीमारी सामने आई है जो पशुओं से मनुष्यों में फैलती हैं। इनमें ब्रसोलिसिस, एनथ्रेक्स, इनफ्लूएंजा, वर्ड फ्लू आदि पशुओं से मनुष्यों में फैली हैं। ऐसी बीमारियों को जूनोटिक डिसीज कहते हैं।

इन बीमारियों के पीछे कारण कहीं न कहीं एंटीबायोटिक का अधिक उपयोग है, जिससे हमारी रोग से लड़ने की क्षमता को कम किया है। बाजार में बिना प्रिस्क्रिप्शन से मिलने वाली एंटीबायोटिक दवाओं पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए देश और राज्य स्तर पर पॉलिसी होना चाहिए। हालांकि इस दिशा में वेटनरी काउंसिल आफ इंडिया ने वन डाइट का फार्मूला बनाकर भेजा है। सभी राज्यों को मिनीमम स्टैंड आफ वेटनरी प्रैक्टिस रेगुलेशन को फॉलो करने यानी अस्पताल कैसे होंगे, उनमें क्या-क्या सुविधा होगी। कौन-कौन सी दवाएं दी जाएंगी आदि मुद्दों पर राज्यों से सुझाव मांगे हैं। जिसे कैबिनेट के माध्यम से आगे लागू किया जा सकेगा।

जागरण संडे स्पेशल

दवाओं के बारे में सूची होना चाहिए

वेटनरी काउंसिल आफ इंडिया के अध्यक्ष डा. यूसी शर्मा का कहना है कि इसी तरह अस्पताल में वेटनरी डाक्टर होना चाहिए। राज्य स्तर पर एक कमेटी बनना चाहिए, जिसमें वेटनरी काउंसिल के सदस्य, राज्य स्तरीय सदस्य, वैज्ञानिक, डायरेक्ट्रेट पशु चिकित्सालय आदि सदस्य होने चाहिए। साथ ही पशुओं को दी जाने वाली दवाओं के बारे में सूची होना चाहिए। फिलहाल वेटनरी में कोई नियम नहीं है। सभी दवाएं आसानी से बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती हैं।

ड्रग कंट्रोलर अलग होना चाहिए

इसके अलावा इन चीजों को रोकने के लिए वेटनरी का ड्रग कंट्रोलर अलग होना चाहिए। अभी मेडिकल और वेटनरी का एक ही कंट्रोलर है। राज्य स्तर पर एलोपैथी मेडिकल व वेटनरी मेडिकल अलग-अलग होना चाहिए। इसकी जरूरत के हिसाब से संख्या होना चाहिए, जिससे दवा की मात्रा का पता लग सके। चपरासी, कम्पाउंडर हर कोई डाक्टर बनकर दवा दे देता है इस बारे में पशु चिकित्सालय पिपलानी के वेटनरी सर्जन डा. शैलेंद्र सोनी का कहना है कि वेटनरी में कोई भी नियमों का पालन नहीं करता है। खासकर मध्य प्रदेश में इसकी स्थिति खराब है। चपरासी, कम्पाउंडर हर कोई डाक्टर बनकर दवा दे देता है। यह हमारे यहां की विडंबना है। बीते 20 सालों में कोई एक केस नहीं पकड़ा कि गलत व्यक्ति इलाज कर रहा था। खाद्य पदार्थ में उपयोग आने वाले पशुओं को बीमारी की हालत में भी बेच दिया जाता है और उनका स्लाटर होता है, जिससे उनकी बीमारी हमारे शरीर में आ जाती है।

आसानी से मिल जाते हैं ये एंटीबायोटिक

सिप्रोफ्लाक्सासिन, एमोक्सीसिलिन, एमोक्सीसिलिन क्लेवनिक एसिड, टेट्रासाइक्लिन, पेनीसिलिन, सिक्सिम, सेफ्युरोक्सिम, सेफ्युरोक्सिम क्लेवनिक, एजीथोमाइसिन, ओफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन, लिबोक्सोक्सासिन

इसके अलावा एंटीबायोटिक एंजेक्शन जैसे सेफ्टीएक्जोन, सेफोटेक्सिन, सेफोपैराजोन, पिपरासिन, एजोपैक्टम, अमिकोसिन, मेरोपेनम, इमीपेनेम आदि।

हर साल बढ़ रहीं एंटीबायोटिक

वर्ल्ड एंटीबायोटिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन किया जा रहा है। इन दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल अब और खतरनाक होता जा रहा है। वर्ल्ड एंटीबायोटिक रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत में हर वर्ष 13 अरब एंटीबायोटिक दवाएं ली जा रही हैं। इस मामले में हम चीन और अमेरिका से भी आगे हैं। एंटीबायोटिक के ज्यादा इस्तेमाल पर नुकसान को देखते हुए इन पर सवाल उठने लगे हैं।

इन बातों का रखें ख्याल

डाक्टर कहें तो ही लें एंटीबायोटिक दवा तभी लें, जब कोई विशेषज्ञ इसे प्रिस्काइब करे। शॉपकीपर से कभी भी एंटीबायोटिक नहीं मांगें।

पूरा कोर्स करेंः अगर डाक्टर ने कोई एंटीबायोटिक लिखी है तो उसका पूरा कोर्स करें। इसका सेवन न डोज से ज्यादा करें और न कम करें।

बचाएं नहीं दवाः अगर दवाएं बच गई हैं तो उन्हें तत्काल नष्ट कर दें। समान बीमारी के लिए भी जरूरी नहीं कि वहीं एंटीबायोटिक काम आए।